

नंबर

धिवक्ता का

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

नं.

तारीख रजु.....

रेणु बनाम श्रवण

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.03.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेड़ी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 11, 31, 38, 43/151, 24, 88, 90, 91, 80,वाके ग्राम भट्टवास तहसील कठूमर के विवांदीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोइ उज्र हो तो दिनांक 24.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

24.3.22

हुकाय पेशीकेन 09/03/22
वाह्य 25/3/22
रवाबकी दिनांक 25/3/22
को पेश हो।

95312

उपस्थित 1
समिति आदेश दिनांक 2.3.22
दिनांक 20/3/22



उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

की पालना में पत्र श्री यासे...
दिनांक 31/5/24 को पत्र हो

~~31/5/24~~

उपखण्ड अधिकारी
कन्या (अलवर)

31/5/24

वकील ऊपर उपाहित नहीं आप वकील व उनके
प्राप्ति के लिए - 2 काकाज विरुद्ध गडि के वि
उपाहित नहीं किया गया। ऊपर का प्रोप
अपना वकील प्रार्थ के अड्डे में - 355
दस्तावेज के खर्चों का जमा है। पत्र की
प्रति मुझे पत्रिका के मूल वरिष्ठ सापेक्षी प्रमाण

~~31/5/24~~

उपखण्ड अधिकारी
कूमर (अलवर)